कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 14/02/2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 13.02.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. **साइबर हेल्प डेस्क थाना नगसर हाल्ट जनपद गाजीपुर के प्रयास से शिकायतकर्ता के साइबर फ्राड द्वारा फ्राड की गयी 15948 रु0/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद गाजीपुर द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आवेदक अरविन्द कुमार पुत्र रविन्द्र नाथ निवासी ग्राम सरहुला,थाना नगसर हाल्ट, जनपद गाजीपुर वादी के पास एक फ्राड फोन काल आया जिसमें आंगनवाड़ी स्कीम के तहत वादी की बहन की डेलेवरी से सम्बंधित पैसा देने के नाम पर एक लिंक भेजा गया जिस पर वादी के द्वारा क्लिक करने पर कुल 3 ट्रांजेक्शन से कुल 16,300.00/- रुपये का फ्राड हो गया थाना स्थानीय पर सूचना मिलते ही साइबर हेल्प डेस्क टीम नगसर हाल्ट जनपद गाजीपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते साईबर हेल्प नं0-1930 NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाकर दिनांक 13.02.2026 आवेदक दर्ज शिकायत संख्या - 33101260005105 थाना नगसर हाल्ट जनपद गाजीपुर तहत जरिये कोर्ट आर्डर साईबर फ्राड में गया 15,948.00/रु0 वापस करवाया गया है।

2. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 8,000/- रू के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।"

अवगत कराना है कि आज दिनांक 13.02.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 634/22 धारा 498ए, 304बी भादवि व वैकल्पिक धारा 302 भादवि एवं ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त विजय बिन्द पुत्र रामा बिन्द निवासी टेढ़वा रजदेपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रू0 अर्थदण्ड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ¾ में 01 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर